कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय): दिल्ली

परिपत्र

ऐसा प्रायः देखा गया है कि जिला एवं सत्र न्यायालय दिल्ली में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा कार्यालय को प्रेषित किए जाने वाले पत्र अशुद्ध अंग्रेजी भाषा में लिखे होते है। ऐसे पत्रों में वर्तनी (स्पेलिंग) एवं व्याकरण संबंधी अनेक अशुद्धियां सामान्यतः पायी जाती हैं।

इस संदर्भ में सभी कर्मचारियों को निर्देश दिया जाता है कि यदि किसी को अंग्रेजी भाषा का समुचित ज्ञान नहीं है तो वह सरल हिन्दी भाषा में पत्र व्यवहार करें। साथ ही ध्यान रहे कि पत्र साफ–साफ लिखा हुआ हो ताकि उनका उद्देश्य तुरंत समझ में आ जाए। जिला एवं सत्र न्यायालय के सभी कर्मचारी पत्र व्यवहार तथा अन्य कार्यालयी कामकाज को हिन्दी भाषा में करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है तथा इसके लिए उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा।

गिरीश

(गिरीश कठपालिया)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय),
तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।

संख्या 50637-807/238/हिन्दी/केन्द्रीय/2019 दिल्ली, दिनांक 26/08/19

सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु उपरोक्त परिपत्र की प्रति निम्न को प्रेषित की जाती है:–

1. समस्त विद्वत जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पश्चिम, नई दिल्ली, पूर्व, उत्तर–पूर्व एवं शाहदरा जिला, उत्तर, उत्तर–पश्चिम, दक्षिण, दक्षिण–पूर्व, दक्षिण–पश्चिम, राऊज़ एवेन्यू दिल्ली इस अनुरोध के साथ कि उपरोक्त परिपत्र को आप अपने संबंधित जिले में अपने अधीनस्थ अधिकारियों व कर्मचारियों को परिचालित करवाएं।
2. सभी न्यायिक अधिकारी (केन्द्रीय जिला)(उपरोक्त परिपत्र को आप अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को अवगत करवाएं)।
3. सभी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी(न्यायिक)/शाखा प्रभारी(उपरोक्त परिपत्र से आप अपने संबंधित जिले में अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को अवगत करवाएं)। केन्द्रीय जिला।
4. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी(न्यायिक)सामान्य अनुभाग, संदर्भ पुस्तिका में परिपत्र के संकलन हेतु।
5. समस्त न्यायिक जिलों के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी(न्यायिक)/प्रशासनिक अधिकारी(न्यायिक)एवं अनुभाग प्रमुख, राजभाषा हिन्दी अनुभाग।
6. निजी सचिव कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय) तीस हजारी न्यायालय दिल्ली।
7. संबंधित कर्मचारी, वेबसाइट/लेयर्स इस निर्देश के साथ कि इसे वेबसाइट/लेयर्स पर अपलोड (Upload) करें।

गिरीश

जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय),
तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प)
27/8/19

8769

इसे आवश्यक कार्यवाही हेतु पश्चिम जिला में परिचालित करें।
हिन्दी अनुभाग (पश्चिम)

259

24859-24933

संख्या......................./हिन्दी/परिपत्र /पश्चिम/238/2019 दिनांक 30-08-19

परिपत्र की प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित की जाती है :-

1- वि. प्रधान न्यायाधीश अति. प्रधान न्यायाधीश व न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, पश्चिम जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
2- श्री वीरेन्द्र कुमार गोयल, अध्यक्ष, केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति, जिला न्यायालय दिल्ली।
3- समस्त विद्वान न्यायिक अधिकारी, पश्चिम जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
4- वि. मुख्य महानगर दण्डाधिकार और अति. मुख्य महानगर दण्डाधिकारी, पश्चिम जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
5- सभी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक)/ प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक)/ अनुभाग प्रमुख, पश्चिम जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
6- आहरण एवम् संवितरण अधिकारी / लेखा अधिकारी, लेखा अनुभाग, पश्चिम जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
7- विद्. मुख्य महानगर दण्ड़ाधिकारी/ विद्. अति. मुख्य महानगर दण्ड़ाधिकारी, पश्चिम जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
8- सचिव, दिल्ली राज्य विधिक सेवाएँ प्राधिकरण, पश्चिम जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
9- कार्यालय प्रशासनिक दीवानी न्यायाधीश दिल्ली तीस हजारी न्यायालय ,पश्चिम ,।
10- वेबसाइट समिति, अंग्रेजी/ हिन्दी, जिला न्यायालय, दिल्ली।
11- संबंधित कर्मचारी, लेयर्स (लेयर्स पर प्रदर्शित करने हेतु)।
12- निजी सचिव, वि. जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पश्चिम), दिल्ली।

☞ **कृपया ध्यान दें** -आप सभी से अनुरोध है कि इस परिपत्र से अपने अधीनस्थ सभी कर्मचारियों को अवगत करवाएं।

(विशाल पाहुजा)

(विशाल पाहुजा)
प्रशासनिक दीवानी न्यायाधीश-सह-
वा.दी.न्या.-सह-अति.कि.नि. (पश्चिम)/
लिंक नोडल अधिकारी, के.हिं.का.समिति।